

15/4/26

पञ्चादशी वार्षिके निधि पेश हुने उक्त फरक
मुलाकिस किमान प्रमाण पार पतिगत जीमा
डिमा प्रावा हो विस्तृत निधि अलग से शाहिल
डिमा गणना डिफे जाती हो पञ्चादशी नंबर से 65
हो

निधि मुनाफा गणना

BV
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



G/CMS
2026/162

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

मीरा देवी व अन्य बनाम रामकिशन व अन्य GCMS :- 2026/162

किस्म मुकदमा:-88,53,209 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या:-96/2026 (OLD No.136/14)

नम्बर
अहकाम
हुकम की
में जारी

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

15.04.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 1-3 व पैरोकार राज उपस्थित। तहसीलदार सूरतगढ़ इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.01.2026 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन कर अपने पत्रांक 6452 दिनांक 24.02.2026 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1-3 ने भी कोई ऐतराज नहीं किया है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1.मीरा देवी पत्नी रूपाराम, महेन्द्र-भूपेन्द्र पि. रूपाराम-कंचन पुत्री रूपाराम कौम कुम्हार साकिन देह तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि:-चक 2 जी.बी. एम. के पत्थर नं. 35/61 (68) किला नं. 4-7 की 0.506 हैक्टर तथा पत्थर नं. 55/5 (67) किला नं. 1/0.147 हैक्टर (दक्षिणी पासा), 2/0.148 हैक्टर (दक्षिणी पासा), 3/0.148 हैक्टर (दक्षिणी पासा), 8 ता 10 की 0.759 हैक्टर=1.202 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.708 हैक्टर कमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर।

2.नत्थु पुत्र चैना जाति कुम्हार साकिन देह तहसील सूरतगढ़ जिला की भूमि:-चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 35/60 (63) किला नं. 13 ता 17, 24-25 की 1.771 हैक्टर कमाण्ड/अ.क. तथा पत्थर नं. 35/61 (68) किला नं. 5-6/0.506 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 55/4 की (64) किला नं. 9 ता 12 की 1.012 हैक्टर व 18 ता 23 की 1.518 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर क0/अ0क0 एवं पत्थर नं. 55/5 (67) किला नं. 1/0.106 (उत्तरी पासा), 2/0.105 (उत्तरी पासा), 3/0.105(उत्तरी पासा)=0.316 हैक्टर कुल 5.123 हैक्टर अ0क0 भूमि।

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो यथावत् रहेगा। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला
सूरतगढ़



(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(बड़जलास :-भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

-:: अनवान :-

1.मीरां देवी पत्नी स्व. रूपाराम पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी.एम. वी.पी.ओ. बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2.महेन्द्र

3.भूपेन्द्र

4.कंचन

पि. स्व.रूपाराम पुत्र नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता मीरादेवी पत्नी स्व. रूपाराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़

-वादीगण

बनाम

- 1.रामकिशन पुत्र नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा वी.पी.ओ. मालेर तहसील सूरतगढ़
- 2.उदाराम पुत्र नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 जी.बी.एम. वी.पी.ओ.बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 3.रामजीलाल पुत्र नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा वी.पी.ओ. मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
- 4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़

-प्रतिवादीगण



वाद पत्र धारा-88,53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 96 वर्ष 2026 (OLD No. 96/2026) (GCMS No. 2026/162) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे हाजरी वकील वादी श्री बाबूलाल चाण्डक व वकील प्रतिवादी सं. 1-3 श्री भगवानदत्त शर्मा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1.मीरा देवी पत्नी रूपाराम, महेन्द्र-भूपेन्द्र पि. रूपाराम-कंचन पुत्री रूपाराम कौम कुम्हार साकिन देह तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि:-चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 35/61 (68) किला नं. 4-7 की 0.506 हैक्टर तथा पत्थर नं. 55/5 (67) किला नं. 1/0.147 हैक्टर (दक्षिणी पासा), 2/0.148 हैक्टर (दक्षिणी पासा), 3/0.148 हैक्टर (दक्षिणी पासा), 8 ता 10 की 0.759 हैक्टर=1.202 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.708 हैक्टर कमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर।

2.नत्थु पुत्र चैना जाति कुम्हार साकिन देह तहसील सूरतगढ़ जिला की भूमि:-चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 35/60 (63) किला नं. 13 ता 17, 24-25 की 1.771 हैक्टर कमाण्ड/अ.क. तथा पत्थर नं. 35/61 (68) किला नं. 5-6/0.506 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नं. 55/4 की (64) किला नं. 9 ता 12 की 1.012 हैक्टर व 18 ता 23 की 1.518 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर क0/अ0क0 एवं पत्थर नं. 55/5 (67) किला नं. 1/0.106 (उत्तरी पासा), 2/0.105 (उत्तरी पासा), 3/0.105(उत्तरी पासा)=0.316 हैक्टर कुल 5.123 हैक्टर अ0क0 भूमि।

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो यथावत् रहेगा।

नोज.....x.....मुबलिंग.....x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x..... फर्दों की पालना.....x..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15/04/2026 को जारी की गई।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)